



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर 302016

दूरभाष: 2200786 निदेशक, 2205464 वरि. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)

2202347 पी.ए.बी.एक्स, 2203344 फैक्स

हैल्प लाईन टोल फ्री नम्बर—1800—180—6268

हैल्प डैस्क-helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in

विभागीय वैब साईट—www.sipf.rajasthan.gov.in



राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर 302016

दूरभाष: 2200786 निदेशक, 2205464 वरि.अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)

2202347 पी.ए.बी.एक्स, 2203344 फ़ैक्स

हैल्प लाईन टोल फ्री नम्बर—1800—180—6268

हैल्प डैस्क-helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in

विभागीय वेब साईट—www.sipf.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य	1-2
2	राज्य बीमा योजना	3-6
3	प्रावधायी निधि योजना	7-16
	1. सामान्य प्रावधायी निधि योजना	7-10
	2. अंशदायी प्रावधायी निधि योजना	10-14
	3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना	14-15
	4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना	15
	5. जीपीएफ 2004 एवं जीपीएफ सैब	16
4	साधारण बीमा निधि योजना	17-24
	1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	17-19
	2. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	19
	3. विविध बीमा पॉलिसी	20-22
	4. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	22
	5. ग्रुप मेडिकलेम योजनाएं	23-24
5.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)	25-27
6.	सिस्टम	28-32
7.	डिजिटাইजेशन	33
8.	लेखा (बजट)	34-35
9.	उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता	36-39
10.	कार्मिकों के स्वीकृत पदों का विवरण	40-41
11.	संगठनात्मक ढांचा	42
12.	विशेष उपलब्धियां	43
13.	सार संक्षेप	44

1. विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य

राजस्थान सरकार के कार्यरत समस्त राज्य कर्मचारियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मेडिकलेम योजना/राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आदि का संचालन किया जा रहा है।

स्वाधीनता के पश्चात् प्रदेश के राज्यकर्मियों के कल्याणार्थ राजस्थान सरकार ने कर्मचारी बीमा नियम 1953 के तहत दिनांक 01.01.1954 से राज्य बीमा योजना को अनिवार्य रूप से राजस्थान सरकार के अध्यक्षीन समस्त कर्मचारियों पर लागू किया। योजना का बाद में विस्तार करते हुए इसे दिनांक 01.04.1989 से जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत कर्मचारियों पर तथा दिनांक 01.04.1995 से सभी नियमित कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया। वर्ष 1943 में मात्र 8000 कर्मचारियों से प्रारम्भ उक्त बीमा योजना 2021 में लगभग 7.75 लाख कर्मचारियों पर लागू है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.05.1980 से सामान्य प्रावधायी निधि योजना को भी अनिवार्य रूप से सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू किया गया। पूर्व में यह योजना अनिवार्य राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से तथा अन्य के लिये वैकल्पिक रूप से लागू थी। वर्तमान में प्रावधायी निधि योजना में लगभग 3.13 लाख अंशदाता हैं।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.1991 से साधारण बीमा निधि की स्थापना की गई जिसके द्वारा राज्य के सभी सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, निगमों, सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों आदि, जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण या गारंटर के रूप में वित्तीय हित निहित है, की परिसम्पत्तियों आदि के लिये साधारण बीमा की विभिन्न प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू की गई है। इस योजना के सदस्यों की सामान्य प्रावधायी निधि कटौतियां अनिवार्य रूप से नहीं की जा रही हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में लगभग 5.28 लाख खातेदार हैं।

राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या 244 बजट वर्ष 2021-22 की अनुपालना में जारी अधिसूचना संख्या 5(5)/FD/INSURANCE/2020 JAIPUR दिनांक 09-04-2021 के क्रम में

माननीय मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, सेवारत व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, राज्य के 01.01.2004 एवं उससे पूर्व व पश्चात् के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों को राजकीय व निजी अनुमोदित चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण कैशलेस आउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर “राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना” (आरजीएचएस) प्रारंभ की गई है।

विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाएँ कर्मचारियों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जो बचत को प्रोत्साहन देने व आयकर में छूट प्रदान करने के साथ ही न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर राज्यकर्मी तथा उसके परिजनों को आर्थिक सम्बल प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय व अन्य राज्यों की योजनाओं की तुलना में राजस्थान सरकार की राज्य बीमा योजना एवं साधारण बीमा योजना सरल व अधिक लाभकारी है।

2. राज्य बीमा योजना

अनिवार्य राज्य बीमा योजना

अनिवार्य राज्य बीमा योजना राजस्थान राज्य के गठन के उपरान्त कर्मचारी बीमा नियम 1953 के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मियों पर लागू है। योजना में नवीन नियम दिनांक 01.04.1998 से प्रभावी किये गये हैं। नवीन नियमों के परिप्रेक्ष्य में, योजना की कार्यविधि पुस्तिका (मैनुअल) के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

1) **योजना किन पर लागू है:**— अनिवार्य राज्य बीमा योजना स्थाई तथा अस्थायी राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत लाया गया, उन पर भी दिनांक 01.04.95 से यह योजना लागू की गई है। (नियम 8(1))

2) **राज्य सरकार की गारन्टी** :— राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी की गई बीमा प्रसंविदाओं के अधीन देय लाभ एवं अन्य रकम को राज्य की संचित निधि में से चुकाने की राज्य सरकार गारन्टी देती है। (नियम 4)

3) **बीमाधन कुर्की से मुक्त:**— बीमा नियमों के अनुसार राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले बीमा प्रमाण पत्र के अंतर्गत देय धन न्यायालय द्वारा डिक्री एवं उसकी क्रियान्विति में कुर्की से मुक्त है। जिन मामलों में भवन निर्माण / कय हेतु किसी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के विरुद्ध बीमा पॉलिसी को बंधक रखा हुआ है, उनमें संबंधित संस्थान से पॉलिसी को मुक्त कराये जाने पर ही बीमाधन का भुगतान बीमेदार/दावेदार को किया जाता है। (नियम 50)

4) **बीमा नियम 1998 में संशोधन** :—

1. बीमा नियम 44(2) में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(36) एफ.डी./राजस्व/96 पार्ट 1 दिनांक 22.11.2007 द्वारा बीमा ऋण लौटाने की किस्तों की संख्या 36 के स्थान पर 60 की गई है।
2. बीमा नियम 11(3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 13(21) वित्त/राजस्व/76 पार्ट दिनांक 02.03.2009 के द्वारा कर्मचारियों की अधिक जोखिम वहन करने की आयु 50 से बढ़ाकर 55 वर्ष कर दी गयी है।
3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प-4(36) वित्त/राजस्व/96 पार्ट-2 दिनांक 16.12.2010 द्वारा बीमा नियम 1998 के नियम 22(2)(ii) में अपर निदेशक के पश्चात् संयुक्त निदेशक जोड़ा गया है।
4. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(2) वित्त/राजस्व/96 पार्ट-1, दिनांक 08.12.2020 के अनुसार राज्य बीमा ऋण पेपरलैस व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण किया जा रहा है एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(36) वित्त/राजस्व/96 पार्ट-1।

दिनांक 17.03.2021 के अनुसार राज्य बीमा के समस्त प्रकार के दावों का निस्तारण पेपरलैस व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण किया जा रहा है।

5. **बीमेदारों की संख्या :-** इस योजना में दिनांक 12.07.2021 की गणनानुसार बीमेदारों की कुल संख्या 775485 है।
6. **बीमा निधि :-** वर्ष 2020-21 के अन्त में राज्य सरकार के पास जमा बीमा निधि राशि रुपये 20866.10 करोड़ है, जिसका राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दिया जा रहा है।
7. **मूल्यांकन एवं बोनस :-**राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.10.2021 के द्वारा राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वर्ष 2018-19 तक प्रतिवर्ष रुपये 90/-प्रति हजार बोनस घोषित किया गया है।
8. **राज्य बीमा पॉलिसी की अन्य विशेषताएँ :-**
 - A. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अन्तर्गत योजना में जमा प्रीमियम राशि पर आयकर छूट का प्रावधान है।
 - B. योजना के नियमों के अंतर्गत बीमित द्वारा आवश्यकता अनुसार बीमा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ऋण हेतु किसी कारण को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है तथा कर्मचारियों से ऋण पर ब्याज वही लिया जाता है जो कि राज्य सरकार द्वारा बीमा निधि पर देय होता है।
 - C. पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु पर मनोनीत व्यक्ति को दुगुने बीमाधन का भुगतान किया जाता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाता है।
 - D. सावधि बीमा योजना में 1 रु0 के प्रीमियम पर अन्य बीमा कम्पनियों की तुलना में बीमाधन अधिक है। अन्य बीमा पॉलिसी की तुलना में बोनस भी अधिक दिया जाता है।
 - E. नियम 9 के अनुसार विभाग राजस्थान सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन पद धारण करने वाले कर्मचारियों का इस बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा करने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि उक्त उपक्रम के 50 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारी बीमा कराने के लिए सहमत हों।
 - F. नियम 10 के अनुसार राजस्थान संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सदस्य विभाग की बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने का विकल्प दे सकते हैं।
 - G. नियम 31 के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति के विवाह से पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया और तत्पश्चात् रद्द नहीं किया गया नामनिर्देशन उसके विवाह के पश्चात् उसकी पत्नी/पति के पक्ष में स्वतः रद्द किया हुआ समझा जायेगा।
 - H. नियम 39(2)(i) के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक बीमा पॉलिसी जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है।

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट-लूज, दिनांक 13.12.2017 के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से राज्य बीमा योजना के सभी ऋण एवम् दावों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्थान पर विभाग के जिलाधिकारी द्वारा सीधे कर्मचारी/दावेदार के बैंक खाते में किया जा रहा है।
9. बीमा कटौती की दरें:-राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट, दिनांक 13.03.2020 के द्वारा राज्य बीमा प्रीमियम की संशोधित कटौती दरें दिनांक 01.04.2020 से निम्नानुसार प्रभावी हैं :-

क्र०सं०	मूल वेतन	खण्ड दरें (मासिक प्रीमियम)
01	रूपये 22000 तक	800
02	रूपये 22001 से 28500 तक	1200
03	रूपये 28501 से 46500 तक	2200
04	रूपये 46501 से 72000 तक	3000
05	रूपये 72001 से अधिक पर	5000
06	अधिकतम	7000

10. अधिक कटौती का विकल्प :-
वेतन खण्ड के लिए निर्धारित मासिक प्रीमियम की कटौती करवाना अनिवार्य है, परन्तु यदि कार्मिक चाहे तो स्वेच्छा से अपने वेतन खण्ड से आगामी दो वेतन खण्डों के लिये निर्धारित दरों पर कटौती करवाकर अधिक बीमाधन के लिये भी बीमित हो सकता है, लेकिन वेतन खण्ड 5 के अंतर्गत आने वाले बीमेदार अधिकतम 7000/- रूपये प्रतिमाह तक ही कटौती करवा सकेंगे। वेतन खण्ड के लिए निर्धारित दर से अधिक कटौती के विकल्प को लेते समय बीमेदार को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि वह टी0बी0, दमा, कैंसर, मधुमेह, एड्स अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिघोषित किसी अन्य रोग से ग्रस्त नहीं है।
11. योजना का कार्य संपादन :-योजना संबंधी समस्त कार्य यथा पॉलिसी जारी करना, अधिक जोखिम वहन करना, ऋण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन, खाता स्थानान्तरण तथा बीमा स्वत्व का निस्तारण आदि कार्य बीमेदार के पदस्थापन संबंधी जिला कार्यालय पर ही सम्पादित किया जा रहा है।
12. बीमा योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरण :-
राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :-

क्रसं	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1-	परिपक्वता स्वत्व	22788	22408	98.33
2-	मृत्यु स्वत्व	2224	2170	97.57
3-	अध्यर्पण स्वत्व	1054	1017	96.49
4-	बीमा ऋण	26278	26051	99.14

राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :-

क्रसं	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1-	परिपक्वता स्वत्व	21881	21545	98.46
2-	मृत्यु स्वत्व	2709	2649	97.79
3-	अध्यर्पण स्वत्व	1015	992	97.73
4-	बीमा ऋण	22310	22152	99.29

वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

क्रसं	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1-	परिपक्वता स्वत्व	19311	19246	99.66
2-	मृत्यु स्वत्व	2077	1984	95.52
3-	अध्यर्पण स्वत्व	499	466	93.38
4-	बीमा ऋण	9788	9496	97.01

13) प्राप्तियां एवं भुगतान :-राज्य बीमा योजना में वर्ष 2019-20 से माह दिसम्बर, 2021 तक की प्राप्तियों एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्तियां	ब्याज	योग	भुगतान	शेष
2019-20	16133.30	2467.60	1397.18	19998.08	1859.43	18138.65
2020-21	18138.65	3307.54	1409.81	22856.00	1989.90	20866.10
2021-22 (दिसम्बर,2021 तक)	20866.10	2711.74			1996.74	

3. प्रावधायी निधि योजना

1. सामान्य प्रावधायी निधि योजना:—

(i) योजना विभिन्न चरणों में निम्न पर लागू हुई:—

योजना समस्त राज्य कर्मचारियों पर राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य घोषित कर्मचारियों पर दिनांक 01.04.1954 से अनिवार्य रूप से लागू हुई थी। स्वेच्छा से अंशदान करने वाले और राज्य बीमा की कटौती में अयोग्य घोषित कर्मचारियों के लिये अनिवार्य सामान्य प्रावधायी निधि कटौती के खातों के रखरखाव का कार्य महालेखाकार से विभाग द्वारा दिनांक 01.04.1979 को लिया गया था, जो निरंतर इस विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। योजना का परिलाभ समस्त राज्य कर्मचारियों को देने के उद्देश्य से उक्त योजना समस्त राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों पर दिनांक 01.05.1980 से अनिवार्य रूप से लागू की गई। दिनांक 01.01.2004 से एवं उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं थी जिसे नवम्बर 2020 से ऐच्छिक रूप से लागू किया गया है। योजना पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम, 01.06.1997 जो कि दिनांक 01.06.1997 से प्रभावी थे, के स्थान पर वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(2) वित्त/नियम/2021 जयपुर दिनांक 12.10.2021 को राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 लागू किये गये हैं।

(ii) सामान्य प्रावधायी निधि योजना के प्रमुख आकर्षण

- 1— योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित ब्याज दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। वर्ष 2021-22 तृतीय तिमाही के लिये ब्याज दर 7.1 प्रतिशत वार्षिक है।
- 2— कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् समस्त लाभों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.2(1)एफडी(रूल्स)/96 दिनांक 30.03.1999 द्वारा प्रावधायी निधि नियम 4 (1) (2) एवं 14 (2) में किये गये संशोधनानुसार खाते में जमा रख सकता है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 2(1)एफडी(रूल्स)/2008 पार्ट-1 दिनांक 11.10.2017 द्वारा सेवा निवृत्ति पश्चात् जमा राशि पर जीपीएफ में प्रचलित ब्याज दर लागू की गई है एवं योजना में राशि जमा होने के पश्चात् आहरण हेतु लॉक-इन पीरियड समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)एफडी(रूल्स)/2008 पार्ट-1 दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतियों को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अपने सेवानिवृत्त परिलाभों की राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- 3— राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को इस योजना में अधिक से अधिक बचत को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह सुविधा प्रदान की गई है कि अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती।

(iii) सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-2 (1)वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 07.02.2018 के द्वारा दिनांक 01.03.2018 से सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं:-

क0सं0	वेतन खण्ड	अंशदान की दर (मासिक रूपयों में)
1	रूपये 23100/- तक	1450
2	रूपये 23101/- से 28500/- तक	1625
3	रूपये 28501/- से 38500/- तक	2100
4	रूपये 38501/- से 51500/- तक	2850
5	रूपये 51501/- से 62000/- तक	3575
6	रूपये 62001/- से 72000/- तक	4200
7	रूपये 72001/- से 80000/- तक	4800
8	रूपये 80001/- से 116000/- तक	6150
9	रूपये 116001/-से 167000/- तक	8900
10	रूपये 167000 से अधिक पर	10500

(iv) **आहरण:-**वित्त (नियम अनुभाग) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(2) वित्त/नियम/2021 जयपुर दिनांक 12.10.2021 अनुसार कोई भी अभिदाता वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने खातों में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण कर सकता है-

- बिना कारण बताये आहरण की स्थिति में:

क्र. सं.	कुल जमा राशि का आहरण प्रतिशत	सेवा अवधि
1.	10 प्रतिशत	5 वर्ष से 15 वर्ष
2.	30 प्रतिशत	15 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष से कम
3.	40 प्रतिशत	25 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम
4.	50 प्रतिशत	30 वर्ष से अधिक
5.	90 प्रतिशत	अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर

- कारण उल्लेखित करने की स्थिति में आहरण:

क्र. सं	कुल जमा राशि का आहरण प्रतिशत	कारण
1.	50 प्रतिशत	1. अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु। 2. वाहन क्रय। 3. स्थाई उपभोग की वस्तुओं का क्रय। 4. अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता-पिता की बीमारी पर व्यय। 5. अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेशित किये जावें। नोट:- आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तक की सीमा में ही आहरण किया जा सकेगा।
2.	75 प्रतिशत	1. भवन निर्माण, भू-खण्ड क्रय, आवस क्रय, फ्लेट क्रय, निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवास पुनर्निर्माण,, विस्तार, परिवर्धन, भू-खण्ड पर भवन निर्माण। 2. अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों/पुत्रियों की सगाई/विवाह हेतु। 3. अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेशित किये जावें।

(v) योजना का कार्य संपादन:-

दिनांक 01.05.1980 से सभी राज्य कर्मचारियों पर यह योजना लागू होने के पश्चात सभी जिलों में विकेन्द्रीकृत रूप से योजना को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत खातेदार का समस्त कार्य यथा खाता संख्या आवंटन करना, अस्थायी/स्थायी आहरण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन तथा स्वत्व का निस्तारण आदि कार्य खातेदार के पदस्थापित जिला कार्यालय पर ही सम्पादित किया जा रहा है।

(vi) योजना अंतर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरण:-

प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना:-

	मामलों की प्रकृति	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
वर्ष 2019-20	सेवानिवृत्ति	30003	28066	93.54
	मृत्यु स्वत्व	3909	3749	95.90
	स्थायी प्रत्याहरण	39768	37421	94.09
वर्ष 2020-21	सेवानिवृत्ति	26396	23529	89.13
	मृत्यु स्वत्व	3093	2847	92.04
	स्थायी प्रत्याहरण	34226	31149	91.00
वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर 2021 तक)	सेवानिवृत्ति	19718	14267	72.36
	मृत्यु स्वत्व	3207	2542	79.26
	स्थायी प्रत्याहरण	33888	30300	89.41

(vii) प्राप्ति एवं भुगतान:— प्रावधायी निधि योजना में प्राप्तियों एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:—

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्तियां	ब्याज	योग	भुगतान	शेष
2019-20	31906.83	3625.25	2529.09	38061.17	3820.24	34240.93
2020-21	34240.93	4098.59	2448.33	40787.85	4074.58	36713.27
2021-22 (माह दिसम्बर 2021 तक)	36713.27	2779.23	—	39492.50	4299.70	35192.80

(viii) कुल खातेदार

दिनांक 12.07.2021 को विभाग द्वारा कराई गई गणना के अनुसार योजना के अन्तर्गत 313674 खातेदार हैं।

(ix) सामान्य प्रावधायी निधि

वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक सामान्य प्रावधायी निधि फण्ड में कुल राशि रूपये 35323.56 करोड़ थी।

(x) खाताबंदी

सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत खाताबंदी का ऑनलाईन कार्य वर्ष 2018-19 तक पूर्ण है तथा वर्ष 2019-20 का कार्य प्रगति पर है।

2. अंशदायी प्रावधायी निधि योजनायें:—

विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर पेंशन की एवज में अंशदायी प्रावधायी निधि योजना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में लागू की गयी। इस विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित अंशदायी प्रावधायी निधि योजनाओं का संचालन किया जाता है:—

1. राजस्थान राज्य कर्मचारी विद्युत यांत्रिक एवं जलदाय विभाग अंशदायी प्रावधायी निधि 1955
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग उद्यान सहित 1961
3. सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर अंशदायी प्रावधायी निधि 1964
4. खान एवं भू-विज्ञान के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि 1987
5. वन विभाग के कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर अंशदायी भविष्य निधि 1994-95

उल्लेखनीय है कि सी.पी.एफ./जीपीएफ./डब्ल्यूसी कर्मचारियों की पेंशन विकल्प के कारण इसकी राशि राजस्व मद में टी0ई0 पारित करने के कारण प्राप्तियाँ (—) में है तथा इस श्रेणी के कार्मिकों की नई भर्ती न होने से अंशदान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अंशदायी योजनाओं का समस्त कार्य दिनांक 01.04.1996 से विकेन्द्रीकृत कर जिला कार्यालयों के स्तर पर संपादित किया जा रहा है।

(i) सिंचाई विभाग कर्म निरूपित (परियोजनाओं सहित) व सार्वजनिक निर्माण विभाग (उद्यान सहित)

यह योजना राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) तथा उद्यान विभाग वर्कचार्ज कर्मचारियों पर दिनांक 01.01.1961 से तथा सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाओं के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर दिनांक 01.06.1964 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान की दर वेतन का 8 प्रतिशत है तथा राज्य सरकार भी इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में अंशदाता के खाते में जमा कराती है। दिनांक 01.01.1961 से पूर्व की सेवाओं के लिये सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी घोषित होने की तिथि से पूर्व, पूर्ण किये गये प्रत्येक वर्ष के लिए 1/2 माह का वेतन विशेष अंशदान के रूप में दिया जाता है। इन कर्मचारियों को नियमित घोषित करने पर निर्धारित अवधि में पेंशन लाभ-चयन की सुविधा दी जाती है। जो कर्मचारी पेंशन लाभ का चयन करते हैं, उनके वेतन से अंशदायी प्रावधानी निधि की ओर कटौती बंद कर सामान्य प्रावधानी निधि की ओर कटौती की जाती है।

उक्त योजना में वर्ष 2019-20 में प्राप्तियाँ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा०नि०	922.92	073.20	000.00	996.12
सामान्य प्रा०नि०	412.02	032.65	000.00	444.67

उक्त योजना में वर्ष 2020-21 में प्राप्तियाँ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा०नि०	996.12	070.75	000.01	1066.86
सामान्य प्रा०नि०	444.67	031.57	000.00	476.24

वर्ष 2021-2022 (दिसम्बर 2021 तक) प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा०नि०	1066.86	000.02	000.00	1066.88
सामान्य प्रा०नि०	476.24	000.00	000.00	476.24

(ii) जलदाय विभाग

राज्य सरकार द्वारा सयांत्रिक एवं जलदाय विभाग के नियमित श्रमिकों के सेवालाभ संदाय हेतु अंशदायी प्रावधायी निधि योजना बनाई गई, जो दिनांक 01.04.1955 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 8 प्रतिशत की दर से कर्मचारी को अंशदान करना होता है तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार को नियोजक के अंशदान (राजकीय अंशदान) के रूप में जमा करानी होती है।

नियमित एवं कर्मनिरूपित कर्मचारी, जिन्हें नियमित श्रेणी में लिया गया है, को राजस्थान सेवा नियमों में शिथिलता बरते जाने पर समय-समय पर निर्धारित अवधि में पेंशन परिलाभ चयन करने की सुविधा प्रदान की गई तथा अब दिनांक 01.09.1980 से जो कर्मनिरूपित कर्मचारी स्थायी होते हैं और 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, को पेंशन का परिलाभ प्रदान करने का स्थायी विकल्प का प्रावधान, उनके सेवानियमों में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। स्थायी होने पर अंशदाता द्वारा पेंशन लाभ चयन करने पर अंशदायी प्रावधायी निधि की कटौती बंद कर सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जाती है।

वर्ष 2019-20 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	185.12	014.80	000.00	199.92
सामान्य प्रा0नि0	119.77	009.49	000.00	129.26

वर्ष 2020-2021 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	199.92	014.35	000.00	214.27
सामान्य प्रा0नि0	129.27	009.18	000.00	138.45

वर्ष 2021-2022 (दिसम्बर, 2021 तक) प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	214.27	000.01	000.00	214.28
सामान्य प्रा0नि0	138.45	000.00	000.00	138.45

(iii) खान एवं भू- विज्ञान कार्य प्रभारित कर्मचारी

राजस्थान खनन एवं भू-विज्ञान विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर यह योजना दिनांक 01.04.1987 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान 31 मार्च को रही उसकी परिलब्धियों के 8 प्रतिशत की दर से करता है तथा इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा अंशदाता के खाते में जमा कराई जाती है।

वर्ष 2019-20 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा०नि०	2.06	0.16	0.00	2.22
सामान्य प्रा०नि०	0.34	0.03	0.00	0.37

वर्ष 2020-21 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा०नि०	2.22	0.16	0.00	2.38
सामान्य प्रा०नि०	0.37	0.03	0.00	0.40

वर्ष 2021-2022 (दिसम्बर, 2021 तक) प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा०नि०	2.38	0.00	0.00	2.38
सामान्य प्रा०नि०	0.40	0.00	0.00	0.40

(iv) वन विभाग कर्मनिरूपित कर्मचारी अंशदायी प्रावधानी निधि एवं सामान्य भविष्य निधि योजना:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.07.1994 की अनुपालना में वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर यह योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत अंशदाताओं के खातों का संधारण जिला स्तर पर ही किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भी अंशदान की दर कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 8 प्रतिशत के बराबर ही है। राज्य सरकार भी इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में अंशदाता के खाते में जमा कराती है। अन्य अंशदायी प्रावधानी निधि योजनाओं के समान ही इसमें भी कर्मचारियों को नियमित घोषित करने पर निर्धारित अवधि में पेंशन चयन की सुविधा प्राप्त है।

वर्ष 2019–2020 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	60.00	04.83	00.00	64.83
सामान्य प्रा0नि0	03.60	00.29	00.00	03.89

वर्ष 2020–2021 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	64.83	04.70	0.005	69.525
सामान्य प्रा0नि0	03.89	00.27	0.000	04.16

वर्ष 2021–2022 (दिसम्बर, 2021 तक) तक प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	69.525	00.02	00.00	69.545
सामान्य प्रा0नि0	04.16	00.00	00.00	4.16

3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना

यह योजना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है। योजना के अन्तर्गत राजस्थान केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारी आते हैं। इस योजना के खाते सामान्य प्रावधानी निधि के अनुरूप ही संधारित किये जाते हैं। योजना में अंशदाताओं की न्यूनतम कटौती कुल परिलब्धियों की 6 प्रतिशत की दर से की जाती है। अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान राज्य सेवाओं से पदोन्नति पर आने वाले अधिकारियों को भी योजना में अनिवार्य रूप से अंशदान करना होता है तथा राजस्थान सेवा की उनके प्रावधानी निधि खाते में जमा राशि इस निधि के अन्तर्गत संधारित खातों में स्थानान्तरित की जाती है। अखिल भारतीय सेवा प्रावधानी निधि में रखे गये खाते का निर्धारित सीमा तक अवशेष रहने पर लिंक बीमा पॉलिसी देय है, फलस्वरूप अंशदाता की सेवा में रहते हुए मृत्यु के समय उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अन्तर्गत अंशदाता के असामयिक निधन के समय उनके खाते में तीन वर्ष की औसत जमा के बराबर अथवा 30,000/- की राशि, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाता है। इस राशि का व्यय-भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में प्रावधानी योजना के अन्तर्गत 311 अंशदाता हैं।

माह अप्रैल 2012 से प्रत्येक खातेदार का प्रारंभिक शेष कम्प्यूटर पर अपलोड कर प्रत्येक खातेदार को लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड जारी किये जा चुके हैं जिससे खातेदार अपने बैलेंस को ऑनलाईन देख सकता है। योजना से सम्बंधित क्रेडिट, डेबिट एवम् खाता स्थानांतरण ऑनलाईन किये जाने का कार्य भी प्रगति पर है।

योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की प्रकृति	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
2019-20	प्रावधायी निधि स्वत्व	48	47	97.91
	स्थायी प्रत्याहरण	15	15	100
	अस्थायी प्रत्याहरण	02	02	100
2020-21	प्रावधायी निधि स्वत्व	49	49	100
	स्थायी प्रत्याहरण	09	09	100
	अस्थायी प्रत्याहरण	00	00	100
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	प्रावधायी निधि स्वत्व	15	14	99
	स्थायी प्रत्याहरण	14	14	100
	अस्थायी प्रत्याहरण	03	03	100

4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना

यह योजना राजस्थान केडर के सीधी भर्ती से नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर दिनांक 01.01.1982 से अनिवार्य रूप से लागू है। राजस्थान राज्य सेवाओं से पदोन्नत अधिकारी ग्रुप बीमा योजना के सदस्य बनने का विकल्प ले सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी द्वारा 120/- रुपये मासिक अंशदान किया जाता है। इस अंशदान की राशि दो भागों में विभक्त होती है। 1/3 अंशदान बीमा निधि एवं 2/3 अंशदान बचत निधि में जमा होता है। अधिकारी की सेवा में रहते मृत्यु होने पर उनके मनोनीत को 1,20,000 रुपये एवं बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के प्रदान की जाती है। सेवानिवृत्ति पर बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के देय होती है।

योजना में देय लाभ भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। विभाग द्वारा सभी अधिकारियों की राशि प्रति माह एक साथ अग्रिम भारत सरकार को भिजवायी जाती है। योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान अंशदाताओं की संख्या 369 है।

5. जीपीएफ 2004 एवं जीपीएफ सैब:—

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 11 (1)(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात सिविल सेवा में नियुक्त राज्य कार्मिकों के लिए एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्डस् एवं निगम आदि में नियुक्त कार्मिकों हेतु नवीन योजनाएँ क्रमशः सामान्य प्रावधायी निधि-2004 (जीपीएफ-2004), सामान्य प्रावधायी निधि-सैब (जीपीएफ-सैब) निम्न बजट मदानुसार प्रतिपादित की गई है :-

जीपीएफ-2004 योजना हेतु	जीपीएफ-सैब योजना हेतु
8009 –राज्य भविष्य निधि	8009– राज्य भविष्य निधि
01 –सिविल	01 –सिविल
101–सामान्य भविष्य निधि	101–सामान्य भविष्य निधि
(03) –जीपीएफ– 2004	(04)–जीपीएफ–सैब

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्मिक स्वैच्छा से अपनी वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक राशि जमा करा सकेंगे तथा जमा की गई राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि नियम में उल्लेखित पद्धति के अनुसार ब्याज राशि खातेदार के खाते में क्रेडिट की जायेगी।

6. ऑल्ले लेजर अपडेशन का कार्य –

राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 से पूर्व की है उन कर्मचारियों के नियुक्ति तिथि से 31.03.2012 तक का ऑल्ले लेजर्स एसआईपीएफ पोर्टल पर अपडेट किये जाकर दिनांक 31.03.2012 के क्लोजिंग बैलेंस तथा 01.04.2012 के ऑपनिंग बैलेंस के अंतर को समाप्त किये जाने का कार्य राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के समस्त जिला कार्यालयों द्वारा अभियान चला कर किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2021 तक 91.75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

7. कार्मिक कल्याण कोष –

राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याणार्थ वित्त(बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक 4(09)एफडी/बीमा/2021 जयपुर दिनांक 26.07.2021 से राशि रूपये 3 हजार करोड़ के कार्मिक कल्याण कोष के गठन के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक कल्याण कोष के संचालन हेतु कोष के अंतर्गत नवीन पीडी खाता संख्या 18699 ब्याज सहित की स्वीकृति वित्त विभाग के पत्र दिनांक 20.07.2021 से प्राप्त हो चुकी है। योजना के नियम /दिशानिर्देश का कार्य प्रक्रियाधीन है।

4. साधारण बीमा निधि योजना

1. साधारण बीमा निधि योजना

समस्त सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, राज्य निगमों, सहकारी समितियों एवं पंजीकृत संस्थानों जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण अथवा गारण्टर के रूप में वित्तीय हित निहित है, के बीमाकर्ता के रूप में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अन्तर्गत साधारण बीमा निधि की वर्ष 1991 में स्थापना की गई। भारत सरकार के तत्कालीन कन्ट्रोलर ऑफ इन्श्योरेंस द्वारा साधारण बीमा निधि को अनुज्ञा पत्र संख्या 572/1992 जारी किया गया, जिसे वर्तमान में भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है। साधारण बीमा निधि को फायर, मेरिन एवं विविध बीमा का कार्य हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त है। साधारण बीमा निधि द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित फीस का भुगतान कर आई.आर. डी.ए.आई. से अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करवाया जाता है।

साधारण बीमा निधि द्वारा वर्तमान में निम्न प्रकार की बीमा जोखिम वहन की जा रही है:-

1. मेरिन बीमा
2. विविध बीमा
 - (i) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
 - (ii) विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना
 - (iii) मनी इन ट्रांजिट मनी इन कैश पॉलिसी
 - (iv) फिडिलिटी गारन्टी बॉन्ड
 - (v) मशीनरी ब्रेक डाउन पॉलिसी
 - (vi) बैंकर्स इण्डेमिनिटी पॉलिसी
 - (vii) वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी
 - (viii) बर्गलरी एण्ड थैफ्ट पॉलिसी
 - (ix) इलेक्ट्रॉनिक इक्यूपमेंट पॉलिसी
 - (x) सी.पी.एम. लोको पॉलिसी

साधारण बीमा निधि द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार फायर, बॉयलर एवं एविएशन बीमा जोखिम वहन करने का कार्य दिनांक 01.08.2011 से तथा मोटर बीमा जोखिम वहन करने का कार्य दिनांक 27.06.2014 से नहीं किया जा रहा है।

साधारण बीमा योजना द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

उक्त योजना में विभाग द्वारा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, विद्युत कम्पनियों में नियुक्त कर्मियों, होमगार्ड विभाग में नियुक्त कर्मियों तथा अन्य निगमों/मण्डलों/समितियों के कार्मिकों के लिये अलग-अलग पॉलिसी जारी की जाती है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में निधन पर कार्मिक के मनोनीत को एवं दुर्घटना में हुई क्षति पर स्वयं बीमित को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। विभिन्न समूह व्यक्तिगत दुर्घटना

बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, नवीनीकरण तिथि इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	बीमा योजना	वर्तमान प्रीमियम दर	बीमाधन (रूपये में)	पालिसी अवधि	विशेष विवरण
1	जीपीए (राज्यकर्मि)	220 रु. 700 रु. 1400रु. 2100रु.	300000 1000000 2000000 3000000	1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक	राज्य कर्मचारी के अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
2	जीपीए पुलिसकर्मि (स्वयं का अंशदान)	1. कास्टे. से हैड कास्टे. 1350/- 2. स.उ.निरी. से निरीक्षक 2700/- 3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर 4050/-	1000000 2000000 3000000	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	पुलिस कर्मियों के फरवरी माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
3	जीपीए पुलिसकर्मि (राजकीय अंशदान)	1. कास्टे. से हैड कास्टे. 1350/- 2. स.उ.निरी. से निरीक्षक 2700/- 3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर 4050/-	1000000 2000000 3000000	28.08.2021 से 27.08.2022 तक	पुलिस विभाग द्वारा एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
4	जीपीए (विद्युतकर्मि)	1. उत्पादन एवं प्रसारण कम्पनियों के कार्मिकों हेतु 250 रु. प्रति कार्मिक 2. वितरण कम्पनियों के कार्मिकों हेतु 600/-प्रति कार्मिक	200000 200000	जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से 1 वर्ष हेतु	विद्युत कम्पनियों द्वारा प्रीमियम विभाग के जिला कार्यालयों में प्रेषित किया जाता है।
5	जीपीए (एटीएस-बीडीएस-श्वान दल)	10000/-	2500000	22.05.2021 से 21.05.2022 तक	पुलिस विभाग द्वारा एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
6	जीपीए (ईआरटी)	10000/-	2500000	13.06.2021 से 12.06.2022 तक	पुलिस विभाग द्वारा एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
7	जीपीए (एटीएस/एसओजी)	10000/-	2500000	02.07.2021 से 01.07.2022 तक	पुलिस विभाग द्वारा एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
8	जीपीए (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)	38.19/-	150000	27.08.2021 से 26.08. 2022 तक	नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा सा.बी.नि. कार्यालय में नफरी आधारित प्रीमियम जमा कराया जाता है।

9	जीपीए (अन्य बोर्ड/कारपोरेशन आदि)	250/- रु.	200000	जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से 1 वर्ष हेतु	विभिन्न नगरपालिका/ नगरपरिषद/ कृषि उपज मण्डी समिति आदि द्वारा विभाग के जिला कार्यालय में प्रीमियम जमा कराया जाता है।
10	जीपीए (जयपुर मेट्रो)	तकनीकी कार्मिकों हेतु 350/- गैर तकनीकी कार्मिकों हेतु 250/-	200000	06.01.2021 से 05.01.2022 तक	जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा सा.बी.नि. कार्यालय में एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
11	जीपीए (होमगार्ड्स)	38.19/-	150000	06.12.2021 से 05.12.2022 तक	गृहरक्षा विभाग द्वारा एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।

2. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना –

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 14 नवम्बर 1996 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2002 में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित, गैर अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों तक विस्तृत किया गया। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, नवीनीकरण तिथि इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	बीमा योजना	वर्तमान प्रीमियम दर	बीमाधन (रूपये में)	पॉलिसी अवधि	विशेष विवरण
1	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना- (राजकीय विद्यालय)	1. कक्षा 1 से 8 हेतु 10/-रु. प्रति विद्यार्थी 2. कक्षा 9 से 12 हेतु 10/-रु. प्रति विद्यार्थी	100000 100000	15 अगस्त से 14 अगस्त	शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त माह में एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
2	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना- (राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त)	10/-रु. प्रति विद्यार्थी 20/-रु. प्रति विद्यार्थी	100000 200000	राज्य बीमा विभाग के जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से एक वर्ष हेतु	शिक्षण संस्थाओं (राज.विद्या. के अतिरिक्त) द्वारा विभाग में प्रीमियम जमा कराया जाता है।
3	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना (मदरसा बोर्ड)	10रु प्रति विद्यार्थी	100000	01.01.2022 से 31.12.2022	प्रीमियम राशि मदरसा बोर्ड द्वारा कुल छात्र संख्या के आधार पर एकमुश्त जमा कराया जाता है।

3.विविध बीमा पॉलिसी-

साधारण बीमा निधि द्वारा मेरिन एवं विविध बीमा (बर्गलरी, मनी, बैंकर्स इन्डेमिनिटी, मेडिकलेम, फिडिलिटी, मशीनरी ब्रेक डाउन, वर्कमैन कम्पनसेशन) इत्यादि पॉलिसी भी जारी की जाती है। उक्त पॉलिसी के विरुद्ध इस विभाग में प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु जोखिम वहन की जाती है।

जिला स्तर पर योजनाओं का विकेन्द्रीकरण –

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा का कार्य राज्य बीमा एवं सामान्य प्रा0नि0 विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा पूर्व से ही संचालित किया जा रहा है। जीपीए राज्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी बीमा योजनाओं के कार्य का माह अप्रैल, 2011 से तथा जीपीए विद्युतकर्मी योजना के कार्य का माह अक्टूबर, 2012 से विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है।

विभिन्न प्रमुख बीमा योजनाओं के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में प्राप्त एवं निस्तारित दावों का विवरण निम्नानुसार है –

(अ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(राज्यकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2019-20	41	288	329	274	55
2020-21	55	236	291	257	34
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	34	187	221	161	60

(ब) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(पुलिसकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2019-20	17	61	78	64	14
2020-21	14	58	72	57	15
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	15	75	90	63	27

(स) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (विद्युतकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2019-20	12	62	74	60	14
2020-21	14	65	79	63	16
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	16	60	76	62	14

(द) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(अन्य बोर्ड/निगमकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2019-20	01	09	10	10	00
2020-21	00	15	15	14	01
2021-2022 (दिसम्बर 2021 तक)	01	03	04	04	00

(य) विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2019-20	27	646	673	602	71
2020-21	71	542	613	594	19
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	19	314	333	281	52

(र) अन्य विविध बीमा पॉलिसियां

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
2019-20	00	03	03	03	00
2020-21	00	10	10	07	03
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	03	02	05	01	04

साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण
(महालेखाकार कार्यालय में बुक राशि के आधार पर)

बजट मद 8011-105-02-01

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	प्राप्त कुल प्रीमियम	कुल भुगतान
2019-20	93.81	58.78
2020-21	103.96	64.59
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	87.87	664.01*

बजट मद 8011-107-01

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	कुल प्राप्तियां	कुल भुगतान
2019-20	15.71	7.13
2020-21	16.20	7.86
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	44.18	206.00**

*बजट मद 8011-00-105-02-01 से राशि 314 करोड़ RGHS को तथा 300 करोड़ रूपये राजस्व मद में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित की गई है।

**राज्य सरकार द्वारा बजट मद 8011-00-107-01 से राशि 200 करोड़ रूपये राजस्व मद में स्थानान्तरित की गई है।

साधारण बीमा निधि की स्थापना वर्ष 1991 में 50,000/- रु. के फण्ड से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर (दिनांक 31.03.2020 को) यह फण्ड बढ़कर लगभग 813 करोड़ रु. हो गया है। फण्ड की राशि राज्य सरकार के पास जमा है जिस पर वर्तमान में निधि को 7.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा जनकल्याणकारी कार्यों में उपयोग में ली जा रही है। साधारण बीमा निधि की वर्ष 2018-19 तक

की बैलेंसशीट की ऑडिट, सनद लेखाकार से कराई जाकर बैलेंसशीट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। वर्ष 2019-2020 की बैलेंसशीट तैयार कराने का कार्य प्रगति पर है।

4. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या 244 बजट वर्ष 2021-22 की अनुपालना में जारी अधिसूचना संख्या 5(5)/FD/INSURANCE/2020 JAIPUR दिनांक 09-04-2021 के क्रम में माननीय मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, सेवारत व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, राज्य के 01.01.2004 एवं उससे पूर्व व पश्चात् के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों को राजकीय व निजी अनुमोदित चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण कैशलेस आउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर "राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना" (आरजीएचएस) प्रारंभ की गई है।

इस योजनान्तर्गत सभी लाभार्थी संवर्गों के स्वास्थ्य परिचर्या नियमों से संबंधित सभी परिलाभों को पूर्व नियमों की भांति यथावत् रखते हुए एक ही योजनान्तर्गत लाया गया है। दिनांक 01.07.2021 से इनडोर/डे-केयर एवं 01.11.2021 से आउटडोर कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रारंभ कर दी गई है। अब तक कुल 2,18,182 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। आउटडोर ईलाज की दवाएं भी कॉनफेड एवं अनुमोदित निजी फार्मा पर कैशलेस उपलब्ध है। शीघ्र ही निजी ईमेजिंग एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों को अनुमोदित कर जॉच की सुविधा की प्रदान की जावेगी। दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को सामान्य बीमारियों में 5.00 लाख (राशि रूपयें 4.80 लाख, इनडोर एवं राशि रूपयें 20,000 हजार, आउटडोर) तक कैशलेस वार्षिक चिकित्सा परिलाभ देय है। गंभीर बीमारियों में 5.00 लाख अतिरिक्त चिकित्सा परिलाभ देय है।

यह योजना पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित है। लाभार्थी का पंजीकरण, उसकी पहचान, दावा प्रपत्र सब्मिट किया जाना पूर्णतः ऑनलाइन किया जाता है। लाभार्थी का फॉलोअप ईलाज एवं इमरजेन्सी ईलाज को आसान बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) की सुविधा है। पेंशनर्स अपनी आउटडोर सीमा में वृद्धि हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं अन्य लाभार्थी अपनी ई-वॉलेट की सीमा भी ऑनलाइन देख सकते हैं।

➤ दिनांक 31.12.2021 तक योजना की प्रगति निम्नानुसार है:-

I.	पंजीकृत लाभार्थी ईकाइयां	—	958296
II.	पंजीकृत लाभार्थी व्यक्ति	—	2570109
III.	राजकीय चिकित्सालय	—	763
IV.	अनुमोदित निजी चिकित्सालय-		281
V.	कॉनफेड के अनुमोदित मेडिकल स्टोर-		452
VI.	अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर	—	852

➤ दिनांक 31.12.2021 तक दावों की स्थिति:-

क्र. स.		उत्पन्न दावें	निस्तारित दावें	बकाया दावें
1.	इनडोर/डेकेयर	48682	28430	20252
2.	हॉस्पिटल आउटडोर	118334	82443	34891
3.	दवा वितरण	396696	227620	169076
4.	कुल दावें	563696	339439	223903

5. ग्रुप मेडिकलेम योजनाएँ

01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी व्यय/खर्चों का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा मेडिकलेम पॉलिसी/योजना के माध्यम से किया जाता है। योजना का प्रीमियम भी राज्य सरकार वहन करती है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2005-06 से विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य कर्मियों के अतिरिक्त विभाग 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त पाँच विद्युत कम्पनियों एवं राज्य सरकार की समस्त स्वायत्तशाषी संस्थाओं/निकायों के कार्मिकों को भी मेडिकलेम पॉलिसी की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा मेडिकलेम पॉलिसियों के माध्यम से राज्य के 5.50 लाख से अधिक कार्मिक एवं उनके आश्रित परिजनों सहित लगभग 27.5 लाख लोग मेडिकलेम योजना के लाभार्थी हैं। विभाग द्वारा जारी की जा रही मेडिकलेम बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, पॉलिसी अवधि एवं योजनाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार है—

क्र. सं.	मेडिकलेम पॉलिसी	वर्तमान प्रीमियम दर	बीमाधन (रूपये में)	पॉलिसी अवधि
1	राज मेडिकलेम पॉलिसी (1.1. 2004 व उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए)	1000 रु.	3 लाख	1 अप्रैल से 31 मार्च
2	पांचो विद्युत कम्पनियों की मेडिकलेम पॉलिसियां (1.1. 2004 व उसके पश्चात् नियुक्त विद्युत कर्मियों के लिए)	1550 रु. + 30 रु. विविध व्यय	3 लाख	प्रीमियम प्राप्ति से 1 वर्ष तक
3	विभिन्न निगमों, बोर्डों एवं स्वायत्तशाषी संस्थानों हेतु जारी पॉलिसी	2500 रु. + 30 रु. विविध व्यय (प्रति 1 लाख के बीमाधन पर)	1 लाख से 3 लाख तक	प्रीमियम प्राप्ति से 1 वर्ष तक

➤ योजना के प्रमुख बिन्दु –

- बीमित : कर्मिक, पति/पत्नी आश्रित माता-पिता, 21 वर्ष तक आयु की 2 अविवाहित संतानों को पॉलिसी का लाभ, ईलाज खर्च का सी.जी.एच.एस. पेकेज दरों पर पुनर्भरण देय
- 24 घण्टे भर्ती रहकर अस्पताल में ईलाज करवाना अनिवार्य।
- राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में आयुष(AYUSH) पद्धतियों से ईलाज की सुविधा।
- कोविड-19 का किसी भी चिकित्सालय में इलाज की सुविधा।
- केश लेस की सुविधा मात्र क्रिटिकल इलनेस में गंभीर बीमारियों की सूची :

●Coronary Artery Surgery ●Cancer ●Renal Failure i.e. failure of both the kidneys ●Stroke
●Multiple Sclerosis ●Meningitis ●Major organ tansplants like Kidney, Lung, Pancreas or
Bone Marrow Transplantation.

- 30 दिवस प्री-हॉस्पिटलाईजेशन एवं 45 दिवस पोस्ट हॉस्पिटलाईजेशन के ईलाज की सुविधा
- प्रथम दो जीवित संतानों के लिए एक वर्ष में रू. 50000/- तक के मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) की सुविधा।
- राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं राज्य से बाहर के निजी/राजकीय अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज की सुविधा।

विभाग द्वारा मेडिकलेम पॉलिसियों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की जांच एवं प्रोसेसिंग का कार्य आई.आर.डी.ए. से लाईसेंस प्राप्त टीपीए द्वारा किया जाता है। मेडिकलेम योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में प्राप्त एवं निस्तारित दावों का विवरण निम्नप्रकार से है:—

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त	योग	निस्तारित	बकाया शेष
2019-2020	2829	17367	20196	17990	2206
2020-2021	2206	17660	19866	15214	4652
2021-2022 (दिसंबर 2021तक)	4652	9824	14476	5505	8971

5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1. राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 जयपुर, दिनांक 28.01.2004 एवं दिनांक 27.03.2004 के द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों पर दिनांक 01.01.2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.08.2004 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली राजकीय उपक्रम एवं स्वायत्तशासी निकायों पर भी लागू की गयी है। राजस्थान राज्य में योजना के संचालन हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना क्रमांक एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 जयपुर, दिनांक 02.08.2005 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू किये गये, जिसके तहत योजना में सम्मिलित अंशदाताओं के वेतन से उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता के 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती की जाती है तथा उतनी ही राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि वर्तमान में राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को राजकीय अंशदान 14 % दिया जा रहा है।
3. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(12)वित्त/राजस्व/04 पार्ट-11 दिनांक 27.12.2010 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सम्बन्ध में पीएफआरडीए आर्किटेक्चर को पूर्णरूप से (In-toto) अपनाया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के पेंशन फण्ड को जिस पद्धति से निवेश किया जा रहा है, उसी प्रकार राज्य के कर्मचारियों के फण्ड को निवेश किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं के खातों के रखरखाव के लिए केन्द्रीय अभिलेख अभिकरण (सीआरए) के रूप में नेशनल सिक्क्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को स्वीकार किया गया। वर्तमान में राज्य में कुल 29,999 डी.डी.ओ., 40 डी.टी.ओ. तथा 10 डी.टी.ए. द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बन्धित कार्य को सम्पादित किया जा रहा है।
5. विभागीय मुख्य कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना निम्न प्रकार है:-

A.सेन्ट्रल रिर्कॉर्डकीपिंग एजेंसी (NSDL) से प्राप्त सूचना के अनुसार एनपीएस राज्य कर्मचारियों के सक्रिय PRAN (Permanent Retirement Account Number) की सूचना।

एनपीएस प्रान	दिनांक 31.03.2019 तक	2019-20	2020-21	2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	कुल सक्रिय प्रान
1	2	3	4	5	6
कुल प्रान	433196	32,274	41635	14342	521447

B. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ट्रस्टी बैंक को अब तक स्थानान्तरित निजी एवं राजकीय अंशदान राशि :-

(राशि करोड़ों में)	दिनांक 31.03.2019 तक	2019-20	2020-21	2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	कुल (2+3+4+5)	AUM
1	2	3	4	5	6	7
अंशदान की राशि	14,410.44	4,375.56	4,881.72	4,194.62	27862.34	39018.71

C. राज्य एनपीएस अंशदाताओं द्वारा एनएसडीएल पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की सूचना:-

वर्ष	कुल प्राप्त	निस्तारण	कार्यवाही में
2019-20	718	718	000
2020-21	467	467	000
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	408	378	030

(उक्त लंबित शिकायतों में 29 शिकायतें 30 दिवस की समयावधि के भीतर हैं)

D.सेन्ट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (NSDL) से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरण दिनांक 31.12.2021 तक की सूचना निम्नानुसार है :-

उत्पन्न दावों के प्रकार	दिनांक 31.03.2021 तक	वित्तीय वर्ष 2021-22				
		01.04.2021 को शेष	01.04.2021 से 31.12.2021 तक प्राप्त	कुल प्रकरण (3+4)	निस्तारित 31.12.2021 तक	शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
मृत्यु	2312	03	97	100	74	24
सेवानिवृति तिथि से पूर्व सेवामुक्त	147	02	22	24	18	05
सेवानिवृति	2850	073	477	550	445	108
योग	5309	078	596	674	537	137

E. सेन्ट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (NSDL) से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में स्वीकृत पेंशन प्रकरणों की दिनांक 31.12.2021 तक की सूचना निम्नानुसार है:-

उत्पन्न पेंशन प्रकरणों की किस्म	दिनांक 31.03.2021 तक स्वीकृत	वित्तीय वर्ष 2021-22				
		01.04.2021 को प्रक्रियाधीन पेंशन प्रकरण	01.04.21 से 31.12.21 तक प्राप्त	कुल प्रकरण (3+4)	निस्तारित 31.12.2021 तक प्राप्त	शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
मृत्यु	12	11	14	25	20	5
सेवानिवृत्तित्तिथि पूर्व सेवामुक्ति	84	13	11	24	12	12
सेवानिवृत्ति	2147	191	425	616	458	158
योग	2243	215	450	665	490	175

6. राज्य सरकार द्वारा राज्य के एनपीएस अंशदाताओं के सेवा में रहते मृत्यु एवं शारीरिक अक्षमता होने पर सेवामुक्त कार्मिकों के मनोनित/कर्मचारियों को अतिरिक्त सहायता के रूप में अंतरिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है, इस क्रम में सम्बंधित कर्मचारियों की सम्पूर्ण कॉरपस राशि एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक से प्राप्त कर पेंशन विभाग के बजट मद में स्थानांतरित कर अंतरिम पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। दिनांक 31.12.2021 तक विभाग द्वारा एनपीएस योजना के मृतक कार्मिकों के कुल 1275 प्रकरणों में कॉरपस राशि सीआरए से प्राप्त कर पेंशन विभाग में जमा कराने हेतु एकवारीय निकासी की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

7. नवाचार-

1. **ऑनलाईन प्रान जनरेशन:-**राज्य में एनपीएस कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2020 से एनएसडीएल के ओपीजीएम (ऑनलाईन प्रान जनरेशन मॉड्यूल) के तहत प्रान आवंटित कराये जा रहे हैं, जिसमें दिनांक 31.12.2021 तक 51756 PRAN (Permanent Retirement Account Number) ऑनलाईन आवंटित कराये जा चुके हैं।

2. **Server to Server Integration:-**राज्य के एनपीएस अंशदाताओं (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित) की एनपीएस नियमित अंशदान (निजी एवंराजकीय अंशदान) राशि पूर्व में दीर्घ प्रक्रिया के कारण वेतन आहरण के लगभग 1से 2 माह बाद CRA (Central Record-keeping Agency) System में हस्तानान्तरित होती थी जिसे सरल बनाया जाकर NSDL एवं IFMS (Integrated Financial Management System) Portal के Server to Server Integration के फलस्वरूप अब PayManager के माध्यम से प्राप्त निजी अंशदान राशियों को राजकीय अंशदान सहित इस विभाग के जिला कार्यालयों के स्थान पर सीधे ही IFMS से AutoBill जनरेट कर कोषाधिकारियों द्वारा दिनांक 01.11.2021 से जिला कार्यालय जयपुर सचिवालय, जयपुर शहर तथा जयपुर ग्रामीण एवं अन्य सभी जिला कार्यालयों का दिनांक 01.12.2021 से CRA System में Data एवं अंशदान हस्तानान्तरण करना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे एनपीएस अंशदाताओं का नियमित अंशदान समय पर अपलोड हो सकेगा।

6. सिस्टम

1. वैब-बेस्ड एप्लीकेशन

इस विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं के लेखों एवं कार्य-प्रक्रियाओं के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु एसआईपीएफ पोर्टल (कस्टमाइज्ड वैब-बेस्ड एप्लीकेशन) तैयार किया गया है। वर्तमान में पोर्टल का विकास, परिष्करण, नवीनीकरण, रख-रखाव तथा आईएफएमएस से इन्टीग्रेशन का कार्यसूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा किया जा रहा है।

2. ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन के लाभ

एसआईपीएफ ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारियों को निम्न मुख्य एवं प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहे हैं :-

1. प्रावधायी निधि योजनाएं एवं राज्य बीमा योजना के खाते दिनांक 01.04.2012 से ऑनलाईन किये जाकर पोर्टल पर खातों के अवलोकन की सुविधा राज्य कर्मचारियों को दी गई है।
2. प्रावधायी निधि योजना एवं राज्य बीमा योजना के ऋण, आहरण एवं अन्तिम भुगतान के प्रार्थना पत्रों का ऑनलाईन सबमिशन एवं डिस्पोजल किया जा रहा है।
3. प्रावधायी निधि योजना एवं राज्य बीमा के भुगतान सीधे ही संबंधित राज्य कर्मचारियों/दावेदारों के बैंक खातों में ऑनलाईन जमा कराये जा रहे हैं।

3. ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन कार्य प्रगति

दिनांक 31.12.2021 तक पोर्टल के माध्यम से सम्पादित कार्य की विस्तृत प्रगति निम्नानुसार है :-

(1) एम्प्लॉई डाटाबेस

राज्य कर्मचारियों के सेवा में प्रवेश करने पर संबंधित डीडीओ द्वारा राजकीय सेवा संबंधी विस्तृत विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिट कराया जाता है, जिसके आधार पर एम्प्लॉई मास्टर डाटा तैयार किया जाकर 16 डिजिट की यूनिक एम्प्लॉई आईडी जारी की जा रही है।

(2) ऑनलाईन रिकार्ड कीपिंग

राज्य बीमा योजना

- राज्य बीमा योजना में बीमेदार की प्रथम कटौती से मार्च, 2014 तक जारी बीमानुबंधों को एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है तथा दिनांक 01.04.2015 से बीमानुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) ऑनलाईन जारी किये जा रहे हैं, जिनके आधार पर पॉलिसी डिटेल् के रूप में प्रथम कटौती से अब तक जारी बीमानुबंध (कॉन्ट्रैक्ट), प्रीमियम, बीमा धन, बोनस आदि को देखे जाने की सुविधा बीमेदारों को पोर्टल पर प्रदान की गई है।

- **बीमा पॉलिसी/बीमानुबन्ध जारी करना:**— दिनांक 01.04.2015 से उक्त कार्य एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 01.04.2015 की 17451, दिनांक 01.04.2016 की 43600, दिनांक 01.04.2017 की 40684, दिनांक 01.04.2018 की 42899, दिनांक 01.04.2019 की 15290, दिनांक 01.04.2020 की 41669 तथा दिनांक 01.04.2021 की 59555 बीमा पॉलिसियां ऑनलाईन जारी की जा चुकी हैं।
- अप्रैल 2012 से दिसम्बर, 2021 तक क्रेडिट एवं डेबिट पे-मैनेजर के माध्यम से पारित वेतन बिलों की बीमा कटौतियों का डाटा पे-मैनेजर से एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कराया गया है, जिसके आधार पर राज्य बीमा कटौतियों को लेजर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

प्रावधायी निधि योजना

- प्रावधायी निधि योजना में अंशदाताओं की प्रथम कटौती से दिनांक 31.03.2012 तक की कटौतियों का रिकार्ड तैयार कर दिनांक 01.04.2012 के ऑपनिंग बैलेंस के रूप में एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया गया था, जिसे अब पुनः परिष्कृत/पूर्ण कराया जा रहा है तथा अप्रैल 2012 से पूर्व की कटौतियां भी ऑल्ल्ड लेजर के रूप में अब पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं।
- अप्रैल 2012 से दिसम्बर, 2021 तक का डेबिट एवं क्रेडिट का डाटा पे-मैनेजर से इम्पोर्ट कर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया गया तथा ऑफलाईन जमा एवं माह सितम्बर 2016 तक केश चालानों के माध्यम से जमा कटौति पत्रों का डाटा विभागीय कर्मचारियों द्वारा फीड किया गया, जो संबंधित अंशदाताओं को जीपीएफ कटौतियों के लेजर के रूप में पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के प्रावधायी निधि योजना के लेखों का दिनांक 01.04.2012सेऑनलाईन संधारण किया जा रहा है। अब ऋण, आहरण एवं क्लेम भी शीघ्र ऑनलाईन निस्तारित करना प्रारम्भ किया जा रहा है।

साधारण बीमा योजना

- व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के प्रपोजल फॉर्म एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट कराये गये हैं।

(4) एसआईपीएफ एवं आईएफएमएस (पे-मैनेजर) पोर्टल का इन्टीग्रेशन

एसआईपीएफ पोर्टल का पे-मैनेजर एप्लीकेशन एवं ई-ग्रास एप्लीकेशन से इन्टीग्रेशन किया जाकर जीपीएफ में अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2021 तक का डाटा एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कर लिया गया है तथा केश चालानों के माध्यम से प्राप्त कटौतियों एवं ऑफलाईन पारित बिलों के शिड्यूल की पोस्टिंग विभागीय स्तर से की जा रही है।

एसआईपीएफ पोर्टल एवं ई-ग्रास पोर्टल के इंटीग्रेशन पश्चात नकद जमाकर्ता विभागों तथा कर्मचारियों द्वारा ई-चालान/शिडयूल्स एसआईपीएफ पोर्टल पर जनरेट कर कटौती राशियाँ जमा करायी जा रही हैं।

(5) **ऑनलाईन एप्लीकेशन डिस्पोजल**

- दिनांक 01.04.2015 से राज्य बीमा के परिपक्वता दावों तथा दिनांक 15.08.2016 से 31.12.2021 तक राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजना के ऋण, आहरण एवं अन्तिम भुगतान दावों का निस्तारण एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया में एप्लीकेशन सम्बन्धित कर्मचारी की लॉगिन आईडी से एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिट कराई जाती है, जिसे सम्बन्धित डीडीओ द्वारा नियमानुसार परीक्षणोपरान्त विभाग को अग्रेषित करते हुए एप्लीकेशन की हार्डकॉपी एवं वांछनीय दस्तावेजों के साथ विभाग के संबंधित जिला कार्यालयों को प्रेषित की जाती है। विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा ऑनलाईन प्रार्थना पत्रों को प्रक्रियानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए भुगतान आदेश जारी किये जाते हैं।
- **बीमा ऋण तथा बीमा परिपक्वता, मृत्यु, अध्यक्षण दावों का निस्तारण** उक्त कार्य के अन्तर्गत दिनांक 15.08.2016 से दिनांक 31.12.2021 तक बीमा ऋण के 116614, बीमा अध्यक्षण के 5711, मृत्यु के 13311 तथा बीमा परिपक्वता के 105626 दावों का ऑनलाईन निस्तारण किया गया।
- **जीपीएफ ऋण, आहरण एवं क्लेम** उक्त कार्य के अन्तर्गत दिनांक 15.08.2016 से दिनांक 31.12.2021 तक जीपीएफ मृत्यु के 11828, जीपीएफ क्लेम के 113927, स्थाई आहरण के 166000 तथा अस्थायी आहरण के 62366 दावों का निस्तारण किया गया है।
- **राज-मेडिक्लेम** दिनांक 01.04.2015 से राज्य कर्मचारियों के मेडिक्लेम दावों का निस्तारण एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निस्तारण किया जा रहा है। दिनांक 15.08.2016 से मेडिक्लेम दावों का निस्तारण विभागीय जिला कार्यालय स्तर पर किया जाता है।
- **मोबाईल मैसेज** एसआईपीएफ पोर्टल पर सम्पादित कतिपय कार्यो यथा एप्लीकेशन सबमिशन, फॉरवर्डिंग/अप्रूवल, बीमा परिपक्वता दावा आमंत्रित करने आदि की जानकारी राज्य कर्मचारियों को दिये जाने बाबत ई-संचार के माध्यम से मोबाईल मैसेज भिजवाये जा रहे हैं।

(6) **एसआईपीएफ भुगतानों की नवीन प्रक्रिया(Payment Order System)**

- वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.12.2017 एवं दिनांक 21.12.2017 के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजनान्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों को बीमा निधि एवं सामान्य प्रावधायी निधि से राशि आहरित करने हेतु अधिकार-पत्र या चैक जारी करने की प्रक्रिया के स्थान पर विभाग के जिलाधिकारी के नाम भुगतान आदेश (फ्लोट) जारी कर, पे-मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट करते

हुए संबंधित कर्मचारी/दावेदारों के बैंक खातों में राशि भुगतान की कार्यवाही सम्पादित किये जाने की नवीन प्रक्रिया दिनांक 01.01.2018 से शुरू की गई है।

- उक्त नवीन व्यवस्था राज्य कर्मचारियों, आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा इस विभाग की कार्य प्रक्रियाओं के पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन के परिप्रेक्ष्य में पारदर्शी, लाभदायक, सुविधाजनक एवं मितव्ययी सिद्ध हो रही हैं।
- विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2021 तक उक्त नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत 445287 कर्मचारियों हेतु उनके सभी प्रकार के ऋण,आहरण एवम् दावा प्रकरणों में 87798 भुगतान आदेश जारी किये गये, जिनके विरुद्ध दिनांक 31.12.2021 तक 87240 भुगतान आदेशों के द्वारा 443124 कर्मचारियों/लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि जमा करायी जा चुकी है। शेष रहे 2163 कर्मचारियों हेतु 558 भुगतान आदेश पारण की प्रक्रिया में है।

(7) पेपरलेस एप्लीकेशन डिस्पोजल

- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(19) वित्त/राजस्व/2018 जयपुर, दिनांक 19.10.2020 के द्वारा राज्य बीमा ऋण , जीपीएफ स्थाई/अस्थायी आहरण तथा सेवानिवृत्ति पश्चात खोले जाने वाले खातों के आहरण (Rtd. Withdrawal) के आवेदनों का पेपरलेस निस्तारण जिला कार्यालय सचिवालय में पायलट बेसिस पर प्रारम्भ किया गया था।
- उक्त व्यवस्था के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(2) वित्त/राजस्व/98 पार्ट –। जयपुर, दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से पेपरलेस एप्लीकेशन व्यवस्था दिनांक 15.12.2020 से विभाग के समस्त जिला कार्यालयों में प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

(8) एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 द्वारा एप्लीकेशन निष्पादन

- राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 249 की अनुपालना में विभाग ने सामान्य प्रावधानी निधि योजना के आहरण की स्वचालित प्रक्रिया जिला कार्यालय सचिवालय में पायलट बेसिस पर प्रारम्भ कर दिनांक 22.09.2021 से जिला कार्यालय जयपुर शहर एवं दिनांक 13.10.2021 से समस्त विभागीय जिला कार्यालयों में एसआईपीएफ पोर्टल के नवीन वर्जन के माध्यम प्रारम्भ कर दी गई है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 31.12.2021 तक 7839 प्रकरणों में अंशदाताओं को राशि रुपये लगभग 190.41 करोड का त्वरित ऑनलाईन भुगतान किया गया है।
- दिनांक 13.10.2021 से समस्त विभागीय जिला कार्यालयों में एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समस्त एप्लीकेशन का निस्तारण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जीपीएफ अकाउण्ट री-ऑपन के अन्तर्गत 292 एप्लीकेशन में सभी एप्लीकेशन अप्रूव की गई हैं, जीपीएफ आहरण के 17621 एप्लीकेशन में से 14734, जीपीएफ क्लेम के 8288 एप्लीकेशन में से 3737 तथा

राज्य बीमा ऋण की 10629 एप्लीकेशन में से 5474 एप्लीकेशन अप्रूव की जा चुकी है।

- एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 एंग्यूलर तकनीक पर आधारित है, जिसमें विभागीय आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आसानी से किया जा सकता है।
- एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 के माध्यम से समस्त आवेदनों का निस्तारण पूर्णतः पेपरलेस किया जा रहा है, जिसमें आहरण एवं वितरण अधिकारियों की भूमिका न्यूनतम है।
- एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में फेमिली डिटेल् को अपडेट करने, जीआरएन नम्बर अपडेट करने, राज्य बीमा/जीपीएफ के दस्तावेज ई-बेग में अपलोड करने के एक्सेस राज्य कार्मिकों को दिये गये हैं।
- **विभागीय वैब-साईट www.sipf.rajasthan.gov.in** पर राज्य कर्मचारियों के लिये निम्न सूचनाएं प्रदर्शित/उपलब्ध करायी जा रही हैं :-
- **विभागीय योजनायें** यथा राज्य बीमा, साप्रानि,एनपीएस, साधारण बीमा एवं मेडिकलेम आदि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध हैं।
- **विभागीय योजनाओं की नियमावली** राज्य बीमा, सा.प्रानि,एनपीएस, जीआईएस एवं मेडिकलेम आदि से संबंधित नियम/उपनियम/अध्यादेश/संशोधन उपलब्ध हैं।
- **विभागीय योजनाओं से संबंधित प्रपत्र** राज्य बीमा, सा.प्रानि, एनपीएस, जीआईएस एवं मेडिकलेम आदि योजनाओं से संबंधित आवश्यक प्रपत्र राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं।
- **डीडीओ एवं एम्प्लॉई कॉर्नर** डीडीओ एवं राज्य कर्मचारियों के लिये सामान्य जानकारीयें उपलब्ध करवायी गयी हैं।
- **एसआईपीएफ पोर्टल एवं अन्य लिंक:-** राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये पोर्टल एवं अन्य महत्वपूर्ण वेबसाईट्स के लिंक उपलब्ध करवाये गये हैं।

(8) हेल्प डेस्क एवं टोल-फ्री हेल्प लाईन

राज्य के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभागीय यूजर्स द्वारा एसआईपीएफ पोर्टलपर किये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान/मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय पर टोल-फ्री हेल्प लाईन एवं हेल्प डेस्क सेवा प्रारम्भ की गई है। कार्यालय समय में टोल-फ्री नम्बर 1800-180-6268 पर सम्पर्क किया जा सकता है और किसी भी समय helpdesk.sipf@rajasthan.gov.inपर ई-मेल किया जा सकता है।

8. लेखा (बजट)

विभाग के मुख्य शीर्ष 2235-4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (राज्य निधि) के निम्नांकित लघु शीर्षों के वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	लघु शीर्ष	बजट प्रावधान 2019-20	वास्तविक व्यय 2020-21	आय-व्यय अनु० 2020-21	वास्तविक व्यय 2020-21	आय-व्यय अनु० 2021-22	वास्तविक व्यय 11 / 2021
1	104-निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि (01)-जमा से प्रतिबद्ध बीमा राज प्रावधायी निधि	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2	104-निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि (02)-प्रावधायी निधि के लेखों का संधारण दत्तमत प्रभृत	3992.42 0.01	3532.66 0.00	3910.32 0.01	3650.36 4.56	4000.89 0.01	2642.86 1.00
3	105-सरकारी कर्मचारी बीमा योजना (01)-राज्य बीमा विभाग दत्तमत प्रभृत	6253.27 0.01	5652.60 0.61	6500.55 0.01	5763.71	6454.79 0.01	4162.78 0.00
4	110-अन्य बीमा योजनायें (01)-साधारण बीमा योजना	491.12	369.30	454.02	394.67	438.07	256.31
5	800-अन्य व्यय (02)-निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा० नि० के माध्यम से (मेडिकलेम)	4324.52	4304.55	4625.42	4509.66	4824.56	4818.73
6	2235-800-अन्य व्यय (02)-निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा० नि० के माध्यम से (02)-नवीन अंशदायी पेंशन योजना	1637.03	1694.61	2007.03	1782.37	2030.02	1107.57
7	200-अन्य कार्यक्रम 23-राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021 01-रा.बी. एवं प्रा.नि. विभाग के माध्यम से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	87.10

8	200-अन्य कार्यक्रम 24-कार्मिक कल्याण योजनाएं 01-रा.बी. एवं प्रा.नि. विभाग के माध्यम से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
9	4235-800-अन्य व्यय (04)- राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग के लिये भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण (90)- निर्माण कार्य	244.79	15.77	162.01	62.45	213.61	0.00
10	4235-60-800-(06) राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 का कम्प्यूटराईजेशन	39.62	38.41	132.41	91.14	133.45	3.06
	दत्तमत प्रभृत	16982.78 0.02	15607.90 0.61	17791.77 0.02	16254.36 4.56	18095.47 0.02	23078.41 1.00

9. उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यों के संबंध में सीधे उपभोक्ताओं, विभिन्न कार्यालयों व अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के संतोषजनक निराकरण हेतु उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता अनुभाग की स्थापना की गयी है। अनुभाग के महत्व को ध्यान में रखते हुये, वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) एवं अतिरिक्त निदेशक (सीआरएस) का पदस्थापन किया गया है।

अनुभागमें वर्तमान में निम्न गतिविधियां संचालित है:-

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. लोकायुक्त/वित्त/जन अभियोग | 2. क्लीयरिंग हाउस |
| 3. राजस्थान सम्पर्क | 4. लोक सेवा गारंटी अधिनियम |
| 5. मासिक बैठक आयोजन | 6. मासिक कार्य प्रगति विवरण |
| 7. अन्य | |

1. लोकायुक्त/वित्त/जन अभियोग/सामान्य शिकायत

उपभोक्ता संबंध अनुभाग (सीआरएस) में वर्ष 2019-20 से 2021-22 (दिसम्बर 2021 तक) में लोकायुक्त/वित्त/जन अभियोग/सामान्य शिकायत से प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निस्तारित शिकायतें
2019-20	302	302
2020-21	147	136
2021-22 (माह दिसम्बर 2021 तक)	233	153

लम्बित शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. क्लीयरिंग हाऊस

माह अप्रैल 2021 से राज्य बीमा एवं सा.प्रावधायी निधि के मूल बैग एवं लेजर स्थानान्तरण के लिए ऑनलाईन के माध्यम से स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य संचालित किया जा रहा है।

3. राजस्थान सम्पर्क

अनुभाग में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (माह दिसम्बर 2021 तक) राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
वर्ष 2019-20	7427	7427	100.00
वर्ष 2020-21	6916	6916	100.00
वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर 2021 तक)	8045	7149	88.86

4. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) की अधिसूचना दिनांक 10.10.2016 के द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत निम्नलिखित 13 विभागीय सेवाओं को निर्धारित अवधि में राज्य कर्मचारियों को प्रदान करने बाबत प्रावधान किया गया है:-

क्र. स.	सेवा का नाम	निर्धारित अवधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1	बीमा ऋण	10 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
2	बीमा स्वत्व	21 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
3	बीमा पॉलिसी जारी करना	प्रथम कटौती के दो माह	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
4	जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रिकार्ड बुक का सत्यापन	7 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
5	जीपीएफ अंतिम आहरण	15 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
6	जीपीएफ स्वत्व	21 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
7	बीमा/जीपीएफ खाता स्थानान्तरण	30 दिवस (मुख्यालय एवं संभागीय स्तर पर प्रति माह क्लियरिंग हाउस का आयोजन किया जाता है।)	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा/जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
8	अधिक जोखिम वहन करना	कटौती के दो माह में	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक

9	साधारण बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
10	विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा	15 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
11	समूह दुर्घटना बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
12	मेडिकलेम	30 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
13	प्रान जारी करना	20 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक एनपीएस	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक

इस हेतु कार्यालयों में पदस्थापित कार्यालयाध्यक्ष पदाभिहित अधिकारी है एवं उनकी सहायता के लिये संबंधित योजना के पर्यवेक्षक सहायक पदाभिहित अधिकारी है। प्रथम अपील अधिकारी संबंधित संभाग के अतिरिक्त निदेशक है। पदाभिहित अधिकारी कार्यालय के किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को आवेदन प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत करता है। प्राप्त आवेदनों को अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के आगे दी हुई समय सीमा में निस्तारित किया जाता है। नियत समय सीमा की संगणना करते समय लोक अवकाश दिनों की गणना नहीं की जाती है।

अधिसूचना की धारा – 7 (1)(क) के तहत यदि पदाभिहित अधिकारी कोई सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहा है तो एक मुश्त राशि की शास्ति, जो पांच सौ रूपये से कम और पांच हजार रूपये से अधिक नहीं होगी तथा अधिसूचना की धारा –7 (1)(ख) के तहत पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवायें प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विलम्ब किया है तो ऐसे विलम्ब के लिये पदाभिहित अधिकारी पर अतिरिक्त प्रतिदिन 250/- रूपये की दर से अधिकतम 5,000/- रूपये तक अधिरोपित करने हेतु द्वितीय अपील प्राधिकारी (निदेशक) को अधिकृत किया गया है। दिसम्बर 2021 तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विभाग में एक मात्र प्रकरण प्रथम अपील का प्राप्त हुआ है, जिसका निस्तारण किया जा चुका है।

5. मासिक बैठक आयोजन

अनुभाग द्वारा प्रतिमाह समीक्षा बैठक का आयोजन कर सभी संभाग/जिला कार्यालयों एवम् मुख्यालय के समस्त अधिकारियों के साथ विभाग की समस्त योजनाओं की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा की जाती है। उक्त बैठकों का कार्यवाही विवरण तैयार कर समस्त जिला/संभाग कार्यालयों को भिजवाया जाता है तथा दिये गये निर्देशों की अनुपालना हेतु निर्देशित किया जाता है।

6. मासिक कार्य प्रगति विवरण

सभी योजना प्रभारियों से मासिक कार्य प्रगति विवरण संकलित कर राज्य सरकार को भिजवाया जाता है।

7. अन्य

• काउण्टर सिस्टम

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, परिवेदनाओं को दर्ज कर इनके समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2000 से सभी जिला कार्यालयों द्वारा काउण्टर व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है।

काउण्टर प्रणाली में प्राप्त पूर्ण प्रकरणों का निस्तारण विभाग के लोक सेवा गारंटी अधिनियम में उल्लेखित कार्य दिवसों में किया जाता है।

आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित पंजिकाओं में दर्ज कर उन्हें एक टोकन द्वारा प्रकरण निस्तारण तिथि अवगत कराकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने के पूर्ण प्रयास किया जाता रहा है, वर्तमान समय में समस्त आवेदन एसआइपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

• सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (दिसम्बर 2021 तक) में प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त मामले	निस्तारित मामले	प्रकरण (कार्यवाही में)
2019-20	5262	5262	शून्य
2020-21	4348	4348	शून्य
2021-22 (12/2021) तक	4384	4094	290

प्रथम अपील:-

वर्ष	प्राप्त	निस्तारित	बकाया
1-4-2019 से 31-03-2020	365	365	शून्य
1-4-2020 से 31-03-2021	707	707	शून्य
1-4-2021 से 31-03-2022 (12/2021) तक	625	471	154(कार्यवाही में)


10. कार्मिकों के स्वीकृत पदों का विवरण

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में विभाग में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	(अ) राजपत्रित पद			
1.	निदेशक	1	1	0
2.	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक	5	5	0
3.	अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)	1	0	1
4.	अतिरिक्त निदेशक	22	20	2
5.	संयुक्त निदेशक	25	15	10
6.	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
7.	सिस्टम एनालिस्ट	1	1	0
8.	उपनिदेशक	30	11	19
9.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	2	1	1
10.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1
11.	सहायक विधि परामर्शी	1	0	1
12.	निजी सचिव	4	3	1
13.	सहायक निदेशक	62	6	56
14.	लेखाधिकारी	3	2	1
15.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम	18	15	3
16.	संस्थापन अधिकारी	5	2	3
17.	प्रशासनिक अधिकारी	10	3	7
18.	प्रोग्रामर	10	10	0
19.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	3	2	1
20.	अतिरिक्त निजी सचिव	6	3	3
21.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	18	18	0

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	(ब) अराजपत्रित पद			
22.	पर्यवेक्षक	131	126	5
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- II	47	23	24
24.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	259	194	65
25.	कनिष्ठ लेखाकार	20	14	6
26.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	4	2	2
27.	सहायक प्रोग्रामर	38	23	15
28.	निजी सहायक	8	6	2
29.	आशुलिपिक	10	0	10
30.	वरिष्ठ सहायक	515	439	76
31.	सूचना सहायक	156	119	37
32.	कनिष्ठ सहायक	601	397	204
33.	वाहनचालक	2	0	2
34.	बाइण्डर	3	3	0
35.	मशीनमैन	1	1	0
36.	रेकार्ड लिफ्टर	9	9	0
37.	जमादार	10	10	0
38.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	213	111	102
	योग	2256	1596	660

11. संगठनात्मक ढांचा



12. विशेष उपलब्धियां

नवीन योजनाएं/नीतियां/नवाचारों का विवरण—

- **कार्मिक कल्याण कोष**— राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याणार्थ राशि रूपये 3 हजार करोड़ के कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया गया है।
- **स्वचालित भुगतान प्रक्रिया**— वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार की बजट घोषणा 249 की अनुपालना में सामान्य प्रावधायी निधि के आहरण स्वीकृति की स्वचालित प्रक्रिया एसआईपीएफ पोर्टल के नवीन वर्जन के माध्यम से दिनांक 13.10.2021 से समस्त विभागीय जिला कार्यालयों में प्रारम्भ किया गया है। एवं नवीन व्यवस्था के तहत अंशदाताओं को रियल टाईम बेसिस पर **ऑटो पेमेन्ट आर्डर** जारी किये जा रहे हैं।
- **राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)**— राज्य सरकार की बजट (2021-22) की घोषणा संख्या 244 के क्रम में माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 01.07.2021 से कैशलेस इन्डोर एवं डे-केयर चिकित्सा सुविधा तथा दिनांक 01.11.2021 से कैशलेस आउटडोर चिकित्सा सुविधा समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में प्रारम्भ कर दी गई है। एवं उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों हेतु सामान्य बीमारी में 5 लाख (20000 रूपये की ओपीडी सुविधा सहित) एवं गंभीर बीमारी में अतिरिक्त 5 लाख रूपये की चिकित्सा सुविधा प्रति परिवार प्रतिवर्ष प्रदान की जा रही है।
- **Server to Server Integration**— राज्य के एनपीएस अंशदाताओं (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित) की एनपीएस नियमित अंशदान (निजी एवं राजकीय अंशदान) राशि पूर्व में दीर्घ प्रक्रिया के कारण वेतन आहरण के लगभग 2 माह बाद **CRA (Central Record-keeping Agency) System** में अपलोड होती थी जिसे सरल बनाया जाकर अब **IFMS (Intergrated Financial Management System)** से **Auto Process** के तहत दिनांक 01.12.2021 से **CRA System** में **Data** एवं अंशदान हस्तान्तरण करना प्रारम्भ कर दिया है। **NSDL** एवं **IFMS** के **Server to Server Integration** के फलस्वरूप अब इस विभाग के जिला कार्यालयों के स्थान पर सीधे ही **IFMS** से **Auto Bill** जनरेट कर स्थानान्तरित की जायेगी जिससे कर्मचारियों का नियमित अंशदान समय पर अपलोड हो सकेगा।

13. सार संक्षेप

समस्त राज्य कर्मचारियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मेडिकलेम योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आदि का संचालन विभाग के द्वारा समयबद्धता एवम् पारदर्शिता का पूर्ण ध्यान रखते हुये न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर किया जा रहा है। राज्य बीमा योजना एवं साधारण बीमा योजना का प्रशासनिक व्यय चार्ज्ड व्यय की श्रेणी में आता है। विभाग द्वारा नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुये दिनांक 15.08.2016 से राज्यकर्मियों को ऑन-लाईन सेवाएँ उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के ऋण/स्वत्व ऑनलाईन ही प्राप्त/निस्तारित किये जा रहे हैं। संबंधित कर्मचारी/दावेदारों के बैंक खातों में राशि का शीघ्र भुगतान करने के प्रयोजन से आहरण वितरण अधिकारी के स्थान पर जिला कार्यालय के द्वारा पे-मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट किये जाने की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु दिनांक 01.01.2018 से भुगतान आदेश (फ्लोट) जारी करने की नवीन प्रक्रिया शुरू की गई है। दिनांक 15.12.2020 से प्रावधायी निधि से आहरण एवं बीमा निधि से ऋण के प्रकरणों की पेपरलेस व्यवस्था लागू की गई है।

इस प्रकार सेवारत कार्मिकों के साथ-साथ मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने एवम् सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए यह विभाग सदैव तत्पर, जागरूक एवम् कृतसंकल्प है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ
स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत

